न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

अपील संख्या 02/2026

1. श्रीमती मंजुल सोनी पत्नी श्री शलभ सोनी, आयु 65 वर्ष, जाति सोनी निवासी ए–46, गोविन्दम, सागर विहार, वैशाली नगर, अजमेर
2. श्री शलभ सोनी पुत्र श्री गोविन्द राम, आयु 66 वर्ष, जाति सोनी, निवासी ए–46, गोविन्दम, सागर विहार, वैशाली नगर अजमेर

.....**अपीलान्ट**

बनाम

1. श्रीमती श्वेता सोनी पत्नी श्री नीलभ सोनी, आयु लगभग 33 वर्ष, जाति सोनी, निवासी ए–46, गोविन्दम, सागर विहार, वैशालीनगर, अजमेर।
2. श्री नीलभ सोनी पुत्र श्री शलभ सोनी, आयु लगभग 38 वर्ष, जाति सोनी, निवासी ए–46, गोविन्दम, सागर विहार, वैशालीनगर, अजमेर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 09.12.2025 पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

आदेश **दिनांक :–24.04.2026**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ अधिकरण पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) के आदेश दिनांक 09.12.2025 जिसमें "अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थीगण को प्रताडित नहीं करेंगे। यदि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो थानाधिकारी, पुलिस थाना क्रिश्चयनगंज अजमेर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।" आदेश दिनांक 09.12.2025 को पारित किया गया जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 01 स्वयं उपस्थित आये एवं रेस्पोडेन्ट सं. 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 माता पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिस प्रार्थना पत्र को माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.12.2025 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया गया कि अप्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थीगण को प्रताडित नहीं करेंगे। यदि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो थानाधिकारी, पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज, अजमेर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा मूल प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष कि अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रत्यर्थीगण के हक में निष्पादित दोनो ही उपहार पत्रों दिनांक 15.05.2023 जिनका पंजीयन दिनांक 16.05.2023 को हुआ था, को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने के अनुतोष को माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया, उक्त आक्षेपित निर्णय विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयो द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्तो के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आक्षेपित पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत होने से अस्वीकार है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पूर्णतया नॉनस्पीकिंग निर्णय की श्रेणी में आता है, क्यों कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में उक्त दोनो उपहार पत्रो दिनांक 15.05.2023, जिनका पंजीयन दिनांक 16.05.2023 को हुआ, किन परिस्थितियों में निष्पादित हुए एवं उनके निष्पादन से पूर्व एवं पश्चात प्रत्यर्थीगण के आचरण एवं अपीलार्थीगण के प्रति उनके व्यवहार, जिनका विस्तृत विवरण अपीलार्थीगण द्वारा अपने मूल प्रार्थना पत्र में किया गया है, से सम्बन्धित किसी प्रकार की कोई विवेचना अपने आक्षेपित निर्णय में नहीं की। अपीलार्थीगण द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दो न्यायिक नजीरे भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिन न्यायिक नजीरो से सम्बन्धित भी किसी प्रकार की कोई विवेचना माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में नहीं की गई, जो सिविल अपील नम्बर 10927 वर्ष 2024 उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील साहरण दीक्षित व अन्य एवं एलपीए 587/2025, सीएम अपील 58201/2025, सीएम अपील 58202/2025, सीएम अपील 58203/2025 श्रीमती वरिन्द्र कौर बनाम श्रीमति दलजीत कौर व अन्य में प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त न्यायिक नजीरो में प्रतिपादित सिद्वान्तो की ना तो कोई विवेचना अपने आक्षेपित निर्णय में की एवं ना ही उक्त न्यायिक नजीरो में प्रतिपादित सिद्वान्तो पर कोई ध्यान दिया गया, इस कारण भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय अपास्त होने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित किये जाते समय माता पिता और वरिष्ठ नागारिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के उद्देश्य को ही ध्यान में नहीं रखा गया, जिसका उदेश्य मुख्य रूप से माता पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण, कल्याण को सुनिश्चित करना तथा उनकी सम्पत्ति को सुरक्षा प्रदान है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 के हक में निष्पादित अलग अलग उपहार पत्र दिनांक 15.05.2023, जिनका पंजीयन दिनांक 16.05.2023 को हुआ था, को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावे। अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत माननीय सर्वाच्च न्यायालय की Civil Appeal No. 10927 Of 2024 Urmila Dixit V/s Sunil Sharan Dixit and Ors. Dated 02-01-2025 एवं माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली का LPA 587/2025, CM Appl. 58201/2025, CM Appl. 58202/20 25 CM Appl 58203/2025 Dated 26-09-2025 प्रस्तुत किये गये।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस में निवेदन किया गया कि अधिनस्थ अधिकरण ने विधिनुसार निर्णय पारित किया गया है, अपीलांट ने स्वेच्छा से रेस्पोडेन्ट सं. 01 को मकान का 1/4 भाग गिफ्ट कर रजिस्ट्रेशन कराया, अब उससे वापस

जिला कलक्टर
अजमेर

लेने हेतु यह प्रकरण/केस किया हैं। प्रश्नगत गिफ्ट डीड दिनांक 15.05.2023 को अपीलांट सं. 01 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 01 के पक्ष में निष्पादित की गई है वह अपीलांट संख्या 01 द्वारा स्वेच्छा से रेस्पोडन्ट संख्या 01 के प्रति अच्छा प्रेम भाव कायम रखते हुए की गई हैं। इस उपहार पत्र में अपीलांट सं. 01 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 01 के पक्ष में निष्पादित उपहार विलेख में ऐसा कोई दायित्व अथवा शर्त रेस्पोडेन्ट सं. 01 पर अधिरोपित नहीं की गई है जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी रेस्पोडेन्ट सं. 01 पर डाली गई हो। ऐसी सूरत में रेस्पोडेन्ट सं. 01 के हक में निष्पादित किया गया उपहार पत्र संपत्ति का अंतरण कपट या छल द्वारा या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया हुआ नहीं माना जा सकता एवं ना ही माननीय अधिकरण द्वारा अंतरण को व्यर्थ घोषित किया जा सकता हैं। अपीलांट सं. 01 ने स्वेच्छा से विधिक पूर्वक परिवाद में वर्णित संपत्ति का 1/4 भाग (शेयर) रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को तथा 1/4 भाग (शेयर) रेस्पोडेन्ट सं. 02 को जरिए उपहार विलेख निष्पादित कर पंजीकृत करा कर दिया है, जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 01 व रेस्पोडेन्ट सं. 02 प्रारम्भ से काबिज हैं। साथ ही यह भी निवेदन है कि उपहार विलेख निरस्त करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को होने से भी अपील निरस्तनीय हैं। अपीलांट ने मिथ्या तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं जो खारिज किए जाने योग्य हैं। अतः अपीलांट की अपील असत्य व निराधार आधारो पर प्रस्तुत करने के कारण सव्यय निरस्त/खारिज करने का आदेश न्यायहित में पारित करने की कृपा करें।

हमने उपस्थित उभयपक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। उभय पक्ष द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों एवं प्रकट तथ्यों पर समस्त दृष्टिकोण से विवेचन किया गया। अपीलांट/प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र 12/2025 बउनवान मंजुल सोनी व अन्य बनाम श्वेता सोनी व अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–23 माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माता–पिता और वरिष्ठ नागारिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत धारा 23 ''यदि किसी वरिष्ठ नागरिक द्वारा अपनी सम्पत्ति को इस आशय के साथ किसी व्यक्ति को अन्तरित किया जाता है कि वह व्यक्ति ऐसे वरिष्ठ नागरिक की– (i) मूलभूत सुविधाओं, एवं (ii) शारीरिक आवश्यकताओं, की पूर्ति करेगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने तथाकथित कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो यह माना जायेगा कि उस व्यक्ति ने वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति को कपट, प्रपीड़न अथवा असम्यक् असर द्वारा पारित किया है और ऐसा अन्तरण अधिकरण द्वारा 'शून्य' घोषित किया जा सकेगा।'' अपीलांट सं. 01 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 01 व 02 के पक्ष में निष्पादित उपहार पत्र दिनांक 15.05.2023 जिसका पंजीयन 16.05.2023 को हुआ में अधिनियम में उल्लेखित शर्त का अंकन नहीं किया गया हैं लिहाजा उपहार पत्र को शून्य अथवा निष्प्रभावी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अपीलान्ट द्वारा ऐसे कोई ठोस नये तथ्य, साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जावे। अपील के साथ संलग्न दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा संलग्न दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त आदेश दिनांक 09.12.2025 पारित किया गया है, जो कि विधि सम्वत् एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक

जिला कलक्टर
अजमेर

09.12.2025 में हाजा न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2025 यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। अतः अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। रेस्पोडेन्ट्स को इस आदेश से निर्देशित किया जाता है अपीलांटगण से किसी प्रकार का लडाई–झगड़ा नहीं करें, व अपने पिता की देखभाल करे, अपीलांटगण के प्रति अच्छा व्यवहार करे इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर हाजा न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित करावें, आदेश की तनिक भी अवहेलना होने पर अधिनियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोक बन्धु)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण, अजमेर